



Neutral Citation No-2026:AHC:6977

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 3807 वर्ष 2025

सुरेंद्र सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जय राज, कृष्ण कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षी के स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

“i. प्रतिपक्षी संख्या-3 को प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 26.08.2025 के आदेश को निष्पादित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ii. कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे। iii. याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान करें।

3. स्थायी अधिवक्ता ने आज अदालत में निर्देश की एक प्रति दायर की है, जिसे अभिलेखों पर लिया गया है। तदनुसार कार्यालय को आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

4. उन्होंने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 26.08.2025 के आदेश को बाद में समेकन द्वारा प्रस्तुत दिनांक 02.01.2026 की रिपोर्ट के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार पर दिनांक 06.01.2026 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 06.01.2026 के आदेश के अनुसरण में उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत नियमों के नियम 109A(2) के तहत चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.01.2026 के आदेश द्वारा 'परवाना अमल-दर-आमद' जारी करने का आदेश दिया गया है। दिनांक 08.01.2026 का आदेश यहां नीचे दिया गया है:-

मण्डल:- आजमगढ़, जनपद:-आजमगढ़, तहसील:- सगड़ी

न्यायालय चकबन्दी अधिकारी

वाद संख्या:- 0442/2026

सुरेन्द्र बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 109-क (1), उ०प्र० जोत चकबन्दी नियमावली, 1954

आदेश तिथि:- 08/01/2026

ग्राम-गहजी, परगना-कोडिया, तहसील-बूढ़नपुर जनपद-आजमगढ़।

परवाना आदेश

आदेश हुआ कि चकबन्दी अधिकारी फूलपुर के वाद सं० 16 ता०फै० 06.01.2026 धारा 21(1) केअनुपालन मेंग्राम गहजी केजोत चकबन्दी आकार पत्र 45 केखाता सं० 505 में अंकित नयी गाटा सं० 979 मि०/0.105 खारिज करके आकार पत्र 45 के खाता सं० 563 मेंरामदुलार पुत्र रामराज के नाम व आकार पत्र 45 के खाता सं० 403 मेंअंकित नई गाटा सं० 949 मि 0/0.010 व 951 मि 0/0.050 खारिज करके आकार पत्र 45 के खाता सं० 831 चकमार्गके नाम व खाता सं० 653 मेंअंकित नई गाटा सं० 945 मि 0/0.010 खारिज करकेचकमार्गकेखाता सं० 881 मेंव 945 मि 0/0.093 खारिज करकेआकार पत्र 45 के खाता सं० 403 मेंराजेश पुत्र तीरथराज आदि के नाम व खाता सं० 563 मेंअंकित नई गाटा सं० 974 मि०/0.025 खारिज करकेखाता सं० 878 मेंनाली के नाम व 974 मि०/0.050 खारिज करके खाता सं० 0881मिचक० मार्गके नाम व खाता सं० 423 मेंअंकित नई गाटा सं० 341 मि०/0.086 खारिज करके खाता सं० 870 मेंबचत/नवीन परती के नाम तथा खाता सं० 870 बचत/नवीन परती मेंअंकित नई गाटा सं० 900मि०/0.040 खारिज करके खाता सं० 505 मेंरणजीत मारकण्डे रामयज्ञ पुत्रगण शिवमूरत आदि के नाम व नई गाटा सं० 944 मि 0/0.103 कड़ी खारिज करके खाता सं० 653 मेंफिरती पुत्र मुन्नर आदि के नाम व गाटा सं० 944 मि०/0.183 कड़ी खारिज करके खाता सं० 423 मेंसुरेन्द्र, जितेन्द्र, महन्द्रे पुत्रगण मातवर आदि के नाम दर्जहो। नई गाटा सं० 974मि०/0.025 कड़ी सेनिर्मित नाली की नयी गाटा सं० 0976/1565 कायम होकर नई गाटा सं० 974मि०/0.050 सेकड़ी निर्मित चकमार्ग की नई गाटा सं० 974/1566 व नई गाटा सं० 0951मि 0/0.050 सेनिर्मित चकमार्गकी नई गाटा सं० 951/1567 तथा नई गाटा सं०

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



945 मि०/०.०१० कड़ी, 949 मि० ०/०.०१० कड़ी से निर्मित चकमार्गकी नई गाटा सं०
945/1568 कायम हो।

चकवन्दी अधिकारी।

सगड़ी/नियम-109 क

सगड़ी, आजमगढ़।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.01.2026 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 26.08.2025 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत रिट याचिका को बनाए रखने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं बचता है।

6. इस प्रकार प्रस्तुत रिट याचिका को निरर्थक मानकर **खारिज** किया जाता है।

जनवरी 12, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)